ग्राम – दौलतपुर कछार, तहसील– भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर, उ0प्र0 में सैण्ड/मौरम माइनिंग हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, 844, फतेहपुर रोशनाई, रनियाँ, जनपद– रमाबाई नगर में प्राप्त प्रस्ताव पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ0 1533(अ) दिनॉक 14–09–2006 यथासंशोधित एस0ओ0 3067 (ई) दिनॉक 01–12–2009 के प्राविधानों के अनुपालनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनॉक 07–06–2012 को अपरान्हः 5:00 बजे ग्राम– दौलतपुर स्थित सार्वजनिक रैन बसेरा, ग्राम– दौलतपुर, कछार, तह0– भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवृत्त का विवरण।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या– **एफ 03536/सी–2/एन0ओ0सी0/3745/2012** दिनॉक **26–04–2012** द्वारा जिलाधिकारी महोदय, जनपद– रमाबाई नगर को सम्बोधित पत्र के अनुक्रम में जिलाधिकारी महोदय, जनपद– रमाबाई नगर द्वारा उक्त परियोजना की लोकसुनवाई हेतु स्थल, तिथि एवं समय की सहमति/अनुमति प्रदान करने के उपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा प्रतिष्ठित समाचार पत्र (दैनिक आज– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के उपरान्त दिनॉक 07–06–2012 को अपरान्हः 5:00 बजे ग्राम– दौलतपुर स्थित सार्वजनिक रैन बसेरा, ग्राम– दौलतपुर, कछार, तह0– भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर में अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/अध्यक्ष लोकसुनवाई की अध्यक्षता में लोकसुनवाई आयोजित की गयी जिसकी कार्यवृत्त का विवरण निम्नवत् है।

उक्त लोकसुनवाई की आम सूचना स्थानीय (दैनिक आज– हिन्दी एवं हिन्दुस्तान टाइम्स– अंग्रेजी) समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी जिसकी छायाप्रति संलग्न है। **(संलग्नक – 1)**।

लोकसुनवाई की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), जनपद– रमाबाई नगर द्वारा की गयी। लोकसुनवाई के समय उपस्थित अधिकारियों में डा0 (श्रीमती)शोभा चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रमाबाई नगर, श्री वी0के0 मिश्रा, सहा0पर्या0अभि0, मै0 ग्रास रूट्स रिसर्च एंड क्रियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नोयडा के प्रतिनिधि श्री बी0एन0 चौधरी, अतिरिक्त सामान्य प्रबन्धक(लीगल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन), श्री आशीष कुमार वर्मा, प्रोजेक्ट इन्चार्ज एवं अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति तथा समीपवर्ती ग्रामवासी उपस्थित थे। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त अवसर पर उपस्थित सदस्यों की सूची की छायाप्रति संलग्न है।**(संलग्नक– 2)**।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या– एस0ओ0–1533 दिनॉक 14–09–2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 जनपद– रमाबाई नगर में उक्त माइनिंग हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी के अनुपालनार्थ दिनॉक 07–06–2012 को इस लोकसुनवाई का आयोजन किया गया।

परियोजना के विषय में ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड कियेशन इण्डिया (प्रा0) लि0 के प्रतिनिधि श्री आशीष कुमार वर्मा, प्राजेक्ट इंचार्ज, ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड कियेशन इण्डिया (प्रा0) लि0, नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि खनन पट्टा दिनॉक 15–05–2007 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना हेतु श्रीमती रेखा देवी, पत्नी श्री सुभाष सिंह यादव, निवासी मा0नं0– 615, लखनपुर, विकास नगर, जनपद– कानपुर नगर पट्टाधारी हैं। खनन का क्षेत्र ग्राम– दौलतपुर, कछार, तह0– भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर, उ0प्र0 है जिसका प्लाट सं0– 3 ,4 एवं 5 है एवं खसरा नं0– 715, 716, 721 से 739 आदि ग्राम– दौलतपुर कछार, तह0–भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर, पूर्व नाम कानपुर देहात उ0प्र0 है जिसका

SChaturvedi

अनुबन्धित क्षेत्रफल 74.75 एकड़ अथवा 30.26 हेक्टेयर है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के गजट अधिसूचना दिनॉक 14 सितम्बर, 2006 यथासंशोधित दिसम्बर, 2009 एवं अप्रैल, 2011 के अनुसार प्रस्तावित खनन परियोजना को श्रेणी 'बी' में रखा गया है। खनन के लिये उपलब्ध क्षेत्रफल 74.75 एकड़ अथवा 30.26 हेक्टेयर होगा। खनन नदी क्षेत्र के उस भाग में होगा जो किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित होगा। प्रत्येक वर्ष नदी क्षेत्र से लगभग 1.08 लाख टन सामग्री के संग्रहण की प्रस्तावना की गयी है। विचाराधीन खनन क्षेत्र का उपयोग नदी के प्राकृतिक प्रवाह के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया गया है।

मानसून के दौरान खनन की कोई गतिविधि नही की जायेगी। रेत खनन नदी के बहाव क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। खनन का कार्य मजदूरो द्वारा नदी के कुल चौड़ाई के 25–25 प्रतिशत दोनों किनारों को छोड़कर बीच के 50 प्रतिशत भाग से नदी के बहाव क्षेत्र से ही किया जायेगा तथा रेत सामग्री उसके मौजूदा स्वरूप से ही संग्रहित की जायेगी। खनन की प्रकिया केवल 3.0 मी0 की गहराई तक ही की जायेगी अथवा भूजल स्तर से मात्र 2.0 मी0 ऊपर तक ही की जाएगी। इसके लिये केवल हाथों वाले औजार जैसे, फावड़ा, तगाड़ी एवं चलनी आदि का प्रयोग किया जायेगा। खनन की प्रक्रिया केवल दिन के दौरान ही की जायेगी। धल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जाएंगे जैसे सड़कों पर पानी का छिड़काव, सैण्ड मौरम को वाहन में लोडिंग करते समय गीली अवस्था में रखना एवं तिरपाल से ढकना आदि की व्यवस्था की जाएगी। ओवर लोडिंग नहीं की जाएगी। गांव के क्षेत्रों में ध्वनि यंत्र का न्यूनतम उपयोग किया जाएगा। पुराने और खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमान नहीं किया जाएगा। नदी के खनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सड़कों की संख्या न्यूनतम होगी, जिसके लिए नदी किनारों की कटिंग नहीं की जाएगी और रैम्प बनाये जाएंगे तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नदी के खनन क्षेत्र में तालाब न बन जाए।

उक्त के अतिरिक्त श्री वर्मा जी द्वारा पर्यावरणीय नियंत्रण योजना द्वारा अवगत कराया गया कि आस–पास के तालाबों, कुंओं और बोरवेल्स में पानी के स्तर में उतार चढ़ाव का मापन किया जाएगा। नदी के किनारे का अपरदन को रोकने के लिए नियमित जांच की जाएगी। किसी भी विपरीत स्थिति में उचित कार्यवाही की जाएगी। खनन क्षेत्र स्थिर और गतिशील स्रोतों और आस–पास के गांवों में शोर के स्तर की जांच साल की हर तिमाही पर की जाएगी। खनन का प्रबन्धन आस–पास के स्थानीय गांवों के नियमित रूप से सम्पर्क में रहेगा। प्रदूषण के रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा ताकि प्रस्तावित सुविधा के स्थायी संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। नियमित पर्यावरणीय लेखापरीक्षा का संचालन किया जाएगा। लेखापरीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के मुद्दों से बचने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा इस परियोजना के लाभ के विषय में बताया गया कि नदी के किनारों को चौड़ा होने से रोकना तथा अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ और नुकसान से बचाना है। इससे नदी के बहाव क्षेत्र से लघु खनिजों इत्यादि के खनन एवं संग्रहण के द्वारा नदियों का मौजूदा मार्ग बना रहता है। समाज के सबसे गरीब वर्ग के लिये आजीविका के अवसर उपलब्ध रहते हैं। इस परियोजना से निर्माण सामग्री जैसे रेत की आपूर्ति में सुधार होगा जिससे राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं जैसे सड़कों, इमारतों एवं पुलों आदि के निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभा में उपस्थित लोगों द्वारा पूछे गये निम्नाकिंत प्रश्नों के सापेक्ष निम्नांकित उत्तर दिये गये।

Bhatnagar,

प्रश्न 1– खनन क्षेत्र से बालू/मौरम के परिवहन हेतु उपयोग में लाये गये वाहनों के आवागमन से सम्बन्धित मार्ग के समीप स्थित फसलें एवं पेड़–पौधों को नुकसान पहुंचता है जिसके कारण पैदावार प्रभावित होती है तथा समीपवर्ती लोगों का आवागमन भी प्रभावित होता है। इसके निराकरण किये जाने की क्या व्यवस्था है? (श्री कुंअर लाल ग्राम– दौलतपुर, तह0– भोगनीपुर, जनपद' रमाबाई नगर)

उत्तर– श्री बी0एन0 चौधरी, अतिरिक्त सामान्य प्रबन्धक(लीगल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन), मै0 ग्रास रूट्स रिसर्च एंड कियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नोयडा द्वारा अवगत कराया गया कि बालू/मौरम खनन क्षेत्र से बालू/मौरम के परिवहन हेतु प्रयोग किये जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाएगा तथा लदे हुए वाहनों को बालू गीली अवस्था में अथवा तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रयोग किये जाने वाले सम्पर्क मार्ग की नियमित रूप से मरम्मत कराई जाएगी जिससे कि समीपवर्ती पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

प्रश्न 2– सम्बन्धित बालू/मौरम खनन क्षेत्र से परिवहन मार्ग समीपवर्ती ग्राम से होकर गुजरता है जिसके कारण प्रयोग में लाए जाने वाले परिवहन वाहन के आवागमन से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जिसके कुप्रभाव ग्रमवासियों के स्वास्थ्य एवं छात्रों की पढ़ाई पर पड़ता है। क्या इसके रोकथाम की कोई व्यवस्था प्रस्तावित है? (श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम– दौलतपुर, तहसील– भोगनीपुर, जनपद– रमाबाई नगर।)

उत्तर– श्री बी0एन0 चौधरी, अतिरिक्त सामान्य प्रबन्धक(लीगल एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन), मै0 ग्रास रूट्स रिसर्च एंड कियेशन इण्डिया(प्रा0)लि0, नोयडा द्वारा अवगत कराया गया कि गांव के क्षेत्रों में ध्वनि यंत्र का न्यूनतम उपयोग किया जाएगा। पुराने और खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना स्थल के निकटवर्ती किसानों के सम्बन्ध में सभा में यह पूछने पर कि इन किसानों को किसी तरह की कोई आपत्ति तो नही है, इस प्रसंग पर सभा में उपस्थित समस्त जनसमुदाय द्वारा हाथ उठाकर अपनी स्वीकारोक्ति व्यक्त की गई। इसी के साथ ही सभा के समापन की घोषणा अपरजिलाधिकारी/अध्यक्ष लोकसुनवाई, महोदय द्वारा की गई।

उपरोक्त मन्तव्य के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थानीय लोकसुनवाई का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया जाता है।

S Chaturvedi.

(डा0(श्रीमती शोभा चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रमाबाई नगर। 07/06/12

(7/6/12)

अपर जिलाधिकारी(प्रशा0)/अध्यक्ष,लोकसुनवाई
जनपद– रमाबाई नगर।